—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 3/2020

उनवान

1. छोगा सिंह, मन्नाा सिंह, पुत्र डूंगा सिंह, झूमी देवी पत्नी रतन सिंह राम सिंह पुत्र रतन सिंह जाति रावत नि. चाटसरदारपुरा नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. कमल सिंह,
2. तारा सिंह पुत्र लाखा सिंह जाति रावत नि0 चाट सरदारपुरा नसीराबाद,
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 व 2 जरियें अधिवक्ता श्री डी.डी. शर्मा
3 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :—

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चाट सरदारपुरा में प्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी व चाह भूमि सिथत है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
1274	0—3—0	923	0.02
1273	0—10—0	924	0.08
1271	1—19—10	925	0.11
		922	0.05

उपरोक्त आराजी वंर्किग खसरा नम्बर 1271 के हाल खसरा नम्बर 925 व 922 के खातेदार प्रार्थी संख्या 1 है। वंर्किग खसरा नम्बर 1273 के हाल खसरा नम्बर 924 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त [illegible] खसरा नम्बर 1274 के हाल खसरा नम्बर 923 गै.मु. चाह स्थित है। उक्त [illegible] तेदार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 सयुंक्त रूप से है। हाल रा[illegible] रकबा को पुराने मानचित्र की तुलना में विधि विरू[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:31:07 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी खसरा नम्बर 924 का रकबा व आकृति बढा दी है। राजस्व मानचित्र में गै.मु. चाह का नक्शा त्रुटिपूर्ण करने के कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे हे तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त चाह को हडपने के लिये उक्त प्रकरण पेश किया हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त चाह पर कब्जा कर लिया है जिस पर पुलिस की मौजुदगी में राजस्व कार्मिको द्वारा अन्य ग्रामवासियों के सामने मौके पर सीमाज्ञान करवाया। प्रार्थी द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट पर जानबुझकर हस्ताक्षर नही किये गये। प्रार्थी को पुलिस द्वारा पाबंद भी किया गया है। बंदोबस्त विभाग द्वारा 3 बार बंदोबस्त किया गया है। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति नही की गयी है। प्रार्थी राजस्व मानचित्र की दुरूस्ती के आधार पर उक्त चाह पर कब्जा करना चाहता है। जवाबकर्ता को बिना किसी कारण पाबंद किया जाता है तो उन्हे नावश्यक परेशा नही होगी। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम चाट सरदापुरा के वंर्किंग खसरा नम्बर 1271 के हाल खसरा नम्बर 925 व 922 के खातेदार प्रार्थी संख्या 1 है। वंर्किंग खसरा नम्बर 1273 के हाल खसरा नम्बर 924 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त खातेदारी आराजी के मध्य में वंर्किंग खसरा नम्बर 1274 के हाल खसरा नम्बर 923 गै.मु. चाह स्थित है। उक्त चाह के खातेदार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 सयुंक्त रूप से है। प्रार्थीगण का कथन है कि हाल राजस्व मानचित्र में उक्त चाह की आकृति व रकबा को पुराने मानचित्र की तुलना में विधि विरूद्व तरीके से आकृति व रकबे को कम कर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी खसरा नम्बर 924 का रकबा व आकृति बढा दी है। राजस्व मानचित्र में गै.मु. चाह का नक्शा त्रुटिपूर्ण करने के कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे हे तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। जबकि अप्रार्थीगण ने जवाब में उक्त तथ्यों का खण्डन किया है। प्रार्थीगण उक्त प्रकरण में राजस्व मानचित्र को दुरूस्त करवाना चाहते हैं। हाल व वंर्किंग राजस्व मानचित्र में उक्त चाह की स्थिति व आकृति का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा। राजस्व अभिलेख में उक्त चाह प्रार्थी व अप्रार्थी की सयुंक्त खातेदारी में है [illegible] अभिलेख में दर्ज खातेदार को बिना विशेष विषम परिस्थितियों पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। प्र[illegible] विशेष पारिस्थितियाँ सिद्व करने में असफल रहा हैं। प्र[illegible] प्रथम दृष्टया [illegible] प्रमाण सिद्व नही होता है।

2. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :– [illegible] जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि [illegible] आदेश नही दिया गया

—3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:31:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। चाह के मानचित्र की सही सिथति का निर्धारण मूल वाद में तय होगा। उक्त चाह हाल जमाबंदी में उभयपक्ष की खातेंदारी में है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम चाट सरदारपुरा की उक्त आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:31:07 IST
Reason: SelfAttested